



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072024-255565
CG-DL-E-19072024-255565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2732]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946

No. 2732]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2024

का.आ. 2869(अ).—यतः, मै. इनफार्मेशन टेक्नॉलजी पार्क लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने कर्नाटक राज्य के सदरमंगला/पट्टदूर अग्रहारा, इंटरनेशनल टेक पार्क, व्हाइटफील्ड रोड, बेंगलोर जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.545(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.87 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. इनफार्मेशन टेक्नॉलजी पार्क लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 1.78 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, कर्नाटक सरकार ने पत्र संख्या सीआई 161 एसपीआई 2023 दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने 1.78 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा 1.78 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 9.09 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे संख्यायें और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	सदारमंगला/पट्टंदूर अग्रहारा	118 (भाग)	1.17
2.		119 (भाग)	0.61
कुल			1.78
उपयुक्त अनधिसूचना के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			9.09

[फा. सं. एफ.2/148/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2024

S.O. 2869(E).—Whereas, M/s. Information Technology Park Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an Information Technology and Information Technology Enabled Services Special Economic Zone at Sadaramangala/Pattandur Agrahara, International Tech Park, Whitefield Road, Bangalore, in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 10.87 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 545(E) dated 10th April, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Information Technology Park Limited has now proposed for de-notification of 1.78 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No. CI 161 SPI 2023 dated 5th October, 2023;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.78 hectares of the Special Economic Zone.

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 1.78 hectares, thereby making resultant area as 9.09 hectares. The Survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

Table for De-notification area

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area (in hectares)
1.	Sadaramangala/Pattandur Agrahara	118 (part)	1.17
2.		119 (part)	0.61
Total			1.78
Total notified area of the SEZ after above de-notification			9.09

[F. No. F. 2/148/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.